

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज ।
(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)
नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, महाराजगंज परिसर में स्थित 1. दुकान संख्या 4 (चाय/नाश्ता कैंपटीन) एवं 2. दुकान संख्या, 3 (फोटो कापी) की नीलामी दिनांक-02.08.2024 को सायंकाल 4:30 बजे पूर्ववत शर्तों के अनुसार अधिष्ठान के सभागार में की जायेगी नीलामी हेतु मुहर बन्द निविदा आमंत्रित किया जाता है। जिसे उक्त निर्धारित समय व स्थान पर ही खोला जायेगा, नीलामी हेतु आवेदन (जमानत धनराशि मु0-100,000=00 के साथ) दिनांक 02.08.2024 को 3:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे। **नोट:-**1. पहचान पत्र, 2. पैन कार्ड, 3. हैसियत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

नीलामी प्रक्रिया के नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.allahabadhighcourt.in/> एवं जनपद न्यायालय महाराजगंज की आधिकारिक वेबसाइट <https://maharajganj.dcourts.gov.in/> पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नीलामी से सम्बन्धित अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पट्ट अथवा केन्द्रीय नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है। दिनांक 02.08.2024 को होने वाले नीलामी में अधिक से अधिक बोलीदाताओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु नीलामी सूचना को जनपद मुख्यालय के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाये।

दिनांक-23.07.2024

(विनय कुमार सिंह),
 अध्यक्ष, नीलामी समिति/
 विशेष न्यायाधीश अनन्य,
 न्यायालय,(पोक्सो अधिनियम),
 महाराजगंज,।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ प्रेषित:-

1. जिला सूचनाधिकारी, महाराजगंज को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
2. एन0आई0सी0, महाराजगंज।
3. नगर पालिका महाराजगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. नाजिर तहसील सदर महाराजगंज।
5. मुख्य विकास अधिकारी विकास भवन महाराजगंज।
6. बस स्टेशन, महाराजगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. कलक्ट्रेट नजारत महाराजगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. जिला न्यायालय महाराजगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. सिस्टम अधिकारी/आई0सी0टी0 स्टाफ जिला न्यायालय महाराजगंज।

Xinay
 23/7/2024
 (विनय कुमार सिंह),
 अध्यक्ष, नीलामी समिति/
 विशेष न्यायाधीश अनन्य,
 न्यायालय,(पोक्सो अधिनियम),
 महाराजगंज,।

कार्यालय नजारत अनुभाग जिला न्यायालय महाराजगंज

संख्या:- /नजारत अनुभाग/जिला न्यायालय/2024-2025 दिनांक जुलाई, 2024

निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, महाराजगंज परिसर में स्थित 1. दुकान संख्या 4 (चाय/नाश्ता कैण्टीन) एवं 2. दुकान संख्या, 3 (फोटो कापी) की नीलामी वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु दिनांक-02.08.2024 को सायंकाल 4.30 बजे अधिष्ठान के सभागार में की जायेगी नीलामी हेतु मुहर बन्द निविदा आमंत्रित किया जाता है। जिसे उक्त निर्धारित समय व स्थान पर ही खोला जायेगा, नीलामी हेतु आवेदन (जमानत धनराशि मु0-100,000=00 के साथ) दिनांक 02.08.2024 को 3:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।

नीलामी की शर्तें :-

1. यह नीलामी, नीलामी के दिनांक से 31.03.2025 तक के लिये प्रभावी होगी नीलामी सील बन्द लिफाफे के आधार पर अधिकतम मूल्य निर्धारण के अनुसार किया जायेगा नीलामी में भाग लेने हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड, हैशियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक दुकान की जमानत धनराशि 1,00,000/-रूपये निर्धारित की गयी है। नीलामी प्राप्त कर्ता के अलावा शेष बोली दाता की जमानत धनराशि उन्हे वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी प्राप्त कर्ता को कुल नीलामी धनराशि मे से आधी धनराशि तत्काल जमा करना होगा तथा तथा सम्पूर्ण धनराशि 15 जनवरी 2025 के पूर्व जमा करना होगा जमानत धनराशि को अन्तिम किस्त में जोड़ा जायेगा।
4. दुकानों के अगल-बगल के सफाई की व्यवस्था ठेकेदार की होगी।
5. दुकानों के आवंटन एवं भुगतान सम्बन्धी विवाद के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज का निर्णय अन्तिम होगा।
6. यह निविदा नीलामी स्वीकृत दिनांक से 31.03.2025 को 05.00 सायंकाल तक अनुमन्य होगा।
7. यह नीलामी जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज के अनुमोदनाधीन मान्य होगी।
8. जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज को अधिकार होगा कि कोई अनियमितता पाये जाने पर किसी भी समय ठेका निरस्त कर जमानत धनराशि राज्य के पक्ष मे जब्त कर ली जाये।
9. प्रत्येक दुकान हेतु विद्युत व्यय (एक बल्ब एक पंखा) नियमानुसार धनराशि/-प्रतिमाह की दर से ठेकेदार द्वारा देय होगा तथा निर्धारित कर (यदि कोई होगा) को ठेकेदार को अलग से देना होगा।
10. दुकानें केवल न्यायालय कार्य दिवस में ही खुलेंगी।
11. कार्यालय कर्मचारियों एवं बार एशोसिएसन के अधिवक्ताओं से कोई वाहन शुल्क नहीं लिया जायेगा।
12. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा निविदा की शर्तों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार जिला न्यायाधीश महाराजगंज में निहित होगा।
13. यह मुहर बन्द निविदा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 22.07.2024 के आलोक में प्रकाशित किया जा रहा है।

Vinay

(विनय कुमार सिंह), 23/7/2024

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश अनन्य,
न्यायालय, (पोक्सो अधिनियम),
महाराजगंज,।